न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बालेसर
(जोधपुर ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी :—रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर /2024

प्रार्थी बनाम **विप्रार्थी**

तहसीलदार सेखाला ग्राम बावडी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम की धारा 131,132,136 तथा राजस्थान भू—अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,59,60,66 एवं 86

::आदेश::

दिनांक:— 14/5/2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। तहसीलदार सेखाला द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2024/97 दिनांक 24.01.2024 से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,132,136 भू.राजस्व अधिनियम सपठित धारा 58,59,60,66,86 राजस्थान भू—अभिलेख नियम 1957 इस आशय का प्रस्तुत किया। तहसीलदार सेखाला के उक्त प्रार्थना पत्र के संलग्न हल्का पटवारी की मौका फर्द के अनुसार फसल खरीफ दौराने गिरदावरी **ग्राम बावडी पटवार मण्डल सेखाला तहसील सेखाला** में चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो भी मौका पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड तथा जमाबन्दी में अंकन नहीं है। तहसीलदार द्वारा रास्ता/बारहमासी मौजा **बावडी के खसरा नम्बर 1144/3, 1145/1, 1150/3** में चल रहे आवगमन के रास्ते को रास्ते के रूप में दर्ज करने की अनुशंषा की गई थी।

हमने पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप 6) के परिपत्र कमांक प3 (2) राज—6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.16 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे बारहमासी रास्ता जो राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में अभिलिखित नहीं है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत में मौजूद है तथा अब पब्लिक इस रास्ते का आवगमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है। ऐसे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन किये जाने का प्रावधान है। प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार रास्ता काफी लम्बे रास्ते को जोडता है।

बाद गौर तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मोके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/तरमीन नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम का आदेश देना राज्यहीत में एवं न्यायोचित है। साथ ही जमाबन्दी में भी किस्म गै.मु.रास्ता किया जावें।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार का स्वीकार कर बारहमासी मौजा **बावडी के खसरा नम्बर 1144/3, 1145/1, 1150/3** में अवस्थित खसरें का प्रस्ताव के संलग्न मौका फर्द एवं नजरी नक्शें में वर्णित लाल मार्क अनुसार तरमीम का आदेश दिया जाता है, उक्त प्रस्तावित भूमि कि किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जायेगी, किन्तु भूमि सरकारी खाते में होने की सूरत में पूर्ववत सरकारी खाते में रहेगी तथा नक्शें में रास्ते की भूमि का लाल स्याही से अंकन किया जावें उक्त कार्यवाही नामान्तरकरण प्रकिया जरिये संपादित की जावें। प्रस्तावों के सलंग्न तहसीलदार द्वारा प्रेषित प्रस्तावित नक्शा एवं मौका फर्द इस आदेश के अभिन्न अंग रहेगें। निर्णय आज दिनांक 14/5/24 को सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार को प्रेषित की जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर के दाखिल दफ्तर हो।

पीठासीन अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
उपखण्ड अधिकारी
बालेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.05.23 18:52:58 IST
Reason: SelfAttested

कमांक रीडर/2024/315

1. तहसीलदार सेखाला को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

14/5/24

पीठासीन अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
उपखण्ड अधिकारी
बालेसर